Co-operative press, jaipur/ /2017

भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप–7

पावती सं. ....

(कार्यालय द्वारा भरी जाएं)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13 (2) और 26 देखें)

मृत्यु/स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन

मैं निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं। ☐

मैं निवेदन करता हूं नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है। ☐

मैं निवेदन करता हूं कि निर्वाचक नामावली से मुझसे संबंधित प्रविष्टि हटाई जानी है। ☐

मेरे आक्षेप या हटाएं जाने के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं:

<u>आवेदक की विशिष्टियां</u>

(क) नाम			
(ख) उपनाम (यदि कोई हों)			
(ग) भाग सं.	☐☐☐☐	(घ) क्र.सं.	☐☐☐☐
(ङ) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)			

<u>उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है या जिसकी</u> प्रविष्टि हटाई जानी है।

(क) नाम			
(ख) उपनाम (यदि कोई हो)			
(ग) भाग सं.	☐☐☐☐	(घ) क्रम सं.	☐☐☐☐
(ङ) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई है)			
(च) आक्षेप/हटाए जाने के कारण			

घोषणा– मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मुझे मालूम है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूं या विश्वास करता हूं कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

स्थान ....

तारीख .... आवेदक के हस्ताक्षर ....

क्षेत्र स्तर सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी :

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... का/की निवासी है, का प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने (नियम 18/20/26(4)) या उसके अनुसरण में) या नामंजूर करने (नियम 17/20/26 (4) या उसके अनुसरण में) के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं।

स्थान :

तारीख : **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के हस्ताक्षर** **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर की मुद्रा**

लिए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना है और अभ्यर्थी के रिकॉर्ड पर उपलब्ध पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 7 में आवेदन।				निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं।
वर्तमान पता जहां आवेदक मामूली निवास करता है।	मकान सं.			
गली/क्षेत्र या परिक्षेत्र				
नगर/गांव				
डाक घर		पिन कोड	☐☐☐☐☐☐	
जिला		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी .... के नाम को निर्वाचन क्षेत्र के भाग सं. .... क्रम सं. .... से हटा दिया है।

(ख) .... कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है।

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर

पता ....

पावती/रसीद

पावती सं. .... तारीख ....

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ है। (आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है)

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

आवेदन प्ररूप–7 भरने के लिए दिशा–निर्देश

प्ररूप–7

कौन प्ररूप–7 दाखिल कर सकता है–

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें उस नामावली में पंजीकृत दूसरा निर्वाचक प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट के प्रस्तावित अंतर्वेशन के प्रति आपत्ति व्यक्त करता है। निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का खाली स्थान में उल्लेख होना चाहिए।

2. **उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम का अंतर्वेशन करने में आपत्ति व्यक्त की गई है/उस व्यक्ति का का विवरण जिसकी प्रविष्ट विलोपित की जानी है:**

   तीन विकल्पों में से पहला विकल्प निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् संगत होता है। दूसरे शब्दों में, नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय विलोपनों की सूची में प्रारूप नामावली में आक्षेपित प्रविष्टि को दर्शाना। दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् सतत् अद्यतनीकरण के दौरान संगत होता है। दूसरे शब्दों में, अंतिम निर्वाचक नामावली में पहले से ही अंतर्वेशित प्रविष्टि के विलोपन के लिए।

   (कृपया प्ररूप भरते समय उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

   सिवाय उस व्यक्ति के नाम के, जिसकी प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपत्ति की गई है या जिसके विलोपन की अपेक्षा की गई है, निर्वाचक नामावली के अन्य विवरण, **निर्वाचक नामावली के उस भाग में प्रविष्टि की भाग सं., क्रम सं. और उस व्यक्ति को जारी किये गये पहचान कार्ड की संख्या [मद (क), (ख), (ग) एवं (घ)]** भी भरी जानी अपेक्षित है। ये विवरण, निर्वाचक नामावली के उस भाग में प्रविष्टि की भाग सं., क्रम सं. और उस व्यक्ति को जारी किये गये पहचान कार्ड की संख्या [मद (क), (ख), (ग) एवं (घ)] भी भरी जानी अपेक्षित है। ये विवरण निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में उपलब्ध हैं। निर्वाचक नामावली की भाग सं. निर्वाचक नामावली के दायें शीर्ष कोने में मुद्रित होती है। प्रत्येक प्रविष्टि को एक क्रम संख्या दी गयी है। कृपया निर्वाचक नामावली की जांच करें और वह क्रम संख्या लिखें जिसमें उस व्यक्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, सूचीबद्ध है। यदि उस व्यक्ति को पहले ही **पहचान कार्ड** जारी किया जा चुका है तो **उसकी संख्या** भी उस प्रविष्टि के सामने मुद्रित होगी। कृपया दिए गए स्थान में उस पहचान कार्ड की पूरी संख्या लिखें।

   प्रत्येक प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपत्ति व्यक्त करने/विलोपन चाहने के लिए मन में से प्रत्येक विकल्पों के लिए अलग–अलग आवेदन दाखिल किए जाने अपेक्षित हैं। दूसरे शब्दों में, केवल एक विकल्प को चुनने की अनुमति है।

3. **आपत्तिकर्ता का विवरण**

   कोई ''आपत्तिकर्ता'' प्ररूप–7 में केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में आवेदन दाखिल कर सकता है जिनका नाम निर्वाचक नामावली के उसी भाग में शामिल है, जहां आपत्तिकर्ता पंजीकृत है। आपत्तिकर्ता को दिए गए स्थान [मद (क), (ख), (ग) एवं (घ) एवं (ङ)] में अपना नाम, उपनाम सहित, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और वह क्रम संख्या, जिस पर निर्वाचक नामावली के उस भाग में उसका नाम पंजीकृत है, भरनी है।

4. आपत्ति/विलोपन का/के कारण

आवेदक ''आपत्तिकर्ता'' को मद (च) में वह/वे कारण अवश्य विनिर्दिष्ट करना/करने चाहिए कि उसके अनुसार जिसके नाम पर आपत्ति की जा रही है वह निर्वाचक नामावली के उस भाग में अंतर्वेशित किए जाने के लिए क्यों निरर्ह है अर्थात् मृत्यु हो जाने के कारण, स्थानान्तरण के कारण या पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण इत्यादि। नाम के विलोपन के लिए दिए गए कारणों को सिद्ध करने के लिए सबूतों को प्रस्तुत करने का दायित्व आपत्तिकर्ता का होगा।

5. घोषणा

आवेदन के आखिरी भाग में आवेदक को यह घोषणा अवश्य देनी चाहिए कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य एवं विवरण उसकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। आवेदक जिस तारीख से दिए गए पते पर निवास कर रहा है उसका सुस्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए। मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।